



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/3717 /01- -2002/2019

दिनांक: 30 मई, 2019

## आदेश

श्यामा हरिवंश शिक्षा समिति द्वारा संचालित श्यामा हरिवंश महाविद्यालय, राजवारी, वाराणसी में संचालित स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, भूगोल, संस्कृत, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों की निर्गत सम्बद्धता के सम्बन्ध में महाविद्यालय के पत्र दिनांक 28.07.2018 को शासनादेश संख्या-2527(2)(4)सत्तर-2-2008-2 (166)/2002 दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति की बैठक, दिनांक 29.05.2019 में लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यपरिषद की स्वीकृति के प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के पत्रांक-ई0स0-2183/जी0एस0 दिनांक 06.11.2006 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (8) विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 12क.32 (2) के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता समाप्त किये जाने के साथ ही महाविद्यालय द्वारा जमा प्राभूत को अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. वै0स0 कुलपति-मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अधीक्षक (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
4. परीक्षा नियंत्रक, मा0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. अध्यक्ष, श्यामा हरिवंश शिक्षा समिति द्वारा संचालित श्यामा हरिवंश महाविद्यालय, राजवारी, वाराणसी।
7. प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पहाड़पुर, गाजीपुर।
8. प्रभारी संगणक को इस आशय से प्रेषित की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव